सीलिंग कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे व्यापारी

मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े कारोबारी, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की,चार घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापारी न्यू मार्केट से मुख्यमंत्री निवास की ओर रवाना हुए, लेकिन रोशनपुरा चौराहे से पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया।

व्यापारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। कुछ व्यापारी नीचे गिर गए, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को लेकर नारेबाजी की और सरकार की सद्बुद्धि के लिए थाली, शंख और डमरू बजाए। एक व्यापारी महात्मा गांधी के वेश में भी प्रदर्शन में शामिल हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देने से भी इनकार कर दिया। करीब चार घंटे बाद एसडीएम अर्चना शर्मा के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। इसके बाद चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल और संघर्ष समिति अध्यक्ष आनंद सोनी ने व्यापारियों का आभार जताया। हालांकि कई व्यापारी आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई बंद चाहिए। व्यापारियों ने मांग की कि जल्द मास्टर प्लान लागू किया जाए।

कोहेफिजा में चाय लीला कैफे समेत होटल, बुक शॉप और बेकरी पर की गई कार्रवाई

इधर, प्रदर्शन के दौरान भी नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। कोहेफिजा में चाय लीला कैफे समेत होटल, बुक शॉप और बेकरी पर कार्रवाई की गई। कुछ संचालकों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। करोंद क्षेत्र में भी व्यापारी कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। व्यापारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सीलिंग कार्रवाई जारी रही तो शहर के व्यापारी बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई से व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं, रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि कार्रवाई में समानता नहीं बरती जा रही है और पूरी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में प्रस्तुत की जाएगी। आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसमें नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

भोज वेटलैंड संरक्षण पर एनजीटी सख्त

- नालों के आउटफॉल पर कैमरे लगाने और सीवेज रोकने के दिए निर्देश

- नालों के आउटफॉल पर कैमरे लगाने और सीवेज रोकने के दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भोज वेटलैंड (बड़ा तालाब और छोटा तालाब) में अनधिकृत निर्माण और बिना उपचारित सीवेज गिरने के मामले में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिकरण ने फुल टैंक लेवल (एफटीएल) से 50 मीटर के दायरे में वर्ष 2017 के बाद हुए सभी अवैध निर्माण तीन माह में हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पर्यावरणविद् नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित भोज वेटलैंड शहर की करीब 40 प्रतिशत पेयजल जरूरत पूरी करता है, लेकिन किनारों पर निर्माण और नालों से आ रहे प्रदूषण से इसका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। एनजीटी ने तालाबों में गिरने वाले प्रमुख नालों के मुहानों और सीवेज पंपिंग स्टेशनों पर पैन-टिल्ट-जूम कैमरे तथा डिजिटल फ्लो मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण, जिला वेटलैंड संरक्षण समिति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह में नालों की स्थिति और सीवेज को शोधन संयंत्रों की ओर मोड़ने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। अधिकरण ने हाई रिजॉल्यूशन ड्रोन सर्वे से वेटलैंड के सीमांकन और सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उल्लंघन की स्थिति में कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की बात कही है। एनजीटी ने जलस्रोतों के संरक्षण को राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की है।

भूमि नीलामी में भ्रष्टाचार करने वाले दो अधिकारियों को सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े भूमि नीलामी प्रकरण में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के दोषी पाए गए दो अधिकारियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने विक्रय अधिकारी विजेंद्र कुमार कौशल और उप पंजीयक सहकारिता अशोक मिश्रा को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया है।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी दोनों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण ग्राम चंदेरी छावनी, तहसील हुजूर के कृषक रिफाकत बी की कृषि भूमि से जुड़ा है। कृषक ने वर्ष 1974 में पंप और कुएं के लिए 8 हजार 775 रुपये का ऋण लेने के दौरान अपनी भूमि बंधक रखी थी। आरोप था कि वर्ष 2004 में 10.31 एकड़ कृषि भूमि की नीलामी नियमों का उल्लंघन करते हुए सौरभ मेटल प्राइवेट लिमिटेड को मात्र एक लाख तीन हजार रुपये में कर दी गई। भूमि का मूल्य बाजार और कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से काफी कम बताया गया।

मामले में नीलामी से संबंधित कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि के लिए भेजे गए थे। लोकायुक्त पुलिस की जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी संतोष धनगर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। वहीं बीएनएस की धारा 74 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।

घटना 25 जुलाई 2024 की है। पीड़िता ने पुलिस थाना परवलिया सड़क में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने बस स्टॉप और बाद में रास्ते में उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह निर्णय सुनाया।

नरोत्तम मिश्रा के निवास पर भाजपा नेताओं की मुलाकात

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर मंगलवार को भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल पहुंचे। इस दौरान डॉ. मिश्रा और अजय जामवाल के बीच संगठनात्मक गतिविधियों एवं समसामयिक विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी डॉ. मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। मुलाकात के दौरान आपसी संवाद और संगठन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

वैज्ञानिक साक्ष्यों से मजबूत होगी अपराध जांच, पुलिस की विशेष कार्यशाला शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अपराध अनुसंधान को अधिक वैज्ञानिक, तार्किक और साक्ष्य आधारित बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पुलिस की तीन दिवसीय फॉरेंसिक, वैज्ञानिक एवं डिजिटल विवेचना प्रशिक्षण कार्यशाला मंगलवार से शुरू हुई। कार्यशाला का आयोजन अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है।

विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों को अपराध स्थल से साक्ष्य संकलन, संरक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण, आधुनिक अपराध अनुसंधान तकनीकों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान घटनास्थल से मिलने वाले साक्ष्यों की जांच, अंगुल चिन्हों का परीक्षण, दस्तावेजों की जांच, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग और विवेचना प्रक्रिया को बेहतर बनाने के विषयों पर जानकारी दी गई। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के विशेषज्ञों ने ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-रक्षा और आईसीजेएस पोर्टल के उपयोग, डिजिटल साक्ष्य अपलोडिंग, केस डायरी के डिजिटलीकरण और न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में फॉरेंसिक भौतिकी, रसायन एवं विष विज्ञान, जीव विज्ञान, डीएनए परीक्षण, अपराध स्थल जांच, बैलिस्टिक्स, फोटोग्राफी और न्यायालयीन प्रमाणीकरण जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती में तेजी के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सभी चिकित्सक निर्धारित समय पर मौजूद रहें और इसकी नियमित निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए।

मंत्रालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सकों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी की जाए, ताकि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। राजेंद्र शुक्ल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए। साथ ही विभाग के अन्य खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकतानुसार मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार जरूरी है। बैठक में प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह और आयुक्त धनराजू एस उपस्थित रहे।

106 छात्रावासों में 8 सितंबर से शुरू होगा मेस संचालन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्रदेश के 106 छात्रावासों में आगामी 8 सितंबर से अनिवार्य रूप से मेस संचालन शुरू किया जाए।

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को समय पर पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कृष्णा गौर ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल को पूरे वर्ष चालू रखने के निर्देश दिए। चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रत्येक तीन माह में अथवा न्यूनतम 25 आवेदन मिलने पर समिति की बैठक आयोजित कर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्रालय में गूंजा वंदे मातरम् और जन गण मन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सितंबर माह के पहले शासकीय कार्य दिवस पर मंगलवार को मंत्रालय परिसर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन किया गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता एवं खेल तथा युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सहभागिता की। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति की मधुर धुनें प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में मंत्रालय, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सामूहिक गायन से मंत्रालय परिसर देशभक्ति के माहौल से सराबोर हो गया।

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लि. एनपीए मेंनेजमेंट ग्रुप

आईडीबीआई टावर, 7वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005

CIN:L65190MH2004GOI148838

कारण बताओ नोटिस

उधारकर्ता : नवसन ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत. 8-ए तीसरी मंजिल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश-462011

IDBI बैंक लिमिटेड ("बैंक") ने नीचे बताई गई संस्थाओं/व्यक्तियों ("आप"/"आपका") के खिलाफ 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक – जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों और बड़े डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार) निर्देश, 2025' (जो 28 नवंबर, 2025 के हैं और जिन्हें "RBI मास्टर निर्देश" कहा गया है) के तहत कार्यवाही शुरू की थी। बैंक ने 28 जुलाई, 2026 को 'जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की पहचान करने वाली समिति II" ("WDIC II") की शुरुआती राय के आधार पर कारण बताओ नोटिस ("SCN") जारी किया था। इस समिति की राय थी कि नीचे बताए गए मानदंडों के आधार पर "जानबूझकर डिफॉल्ट" (Wilful Default) की एक या अधिक घटनाएँ हुई हैं :

नाम एवं पता	पद का नाम	विलफुल डिफॉल्ट मापदंड
श्री. उमेश जयंतीलाल मेहता पता: कमरा नंबर 6, पार्क व्यू बिल्डिंग राजावाड़ी, गार्डन रोड, घाटकोपर पूर्व मुंबई : 400077	नवसन ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर-डायरेक्टर/गारंटर	प्रमोटर-डायरेक्टर के अंतर्गत क्लॉज नंबर: 3 (1) (xviii) (A) (c) read with 3 (1) (xvi)
श्री. नीरज जयंतीलाल मेहता पता :कमरा नंबर 6, पार्क व्यू बिल्डिंग राजावाड़ी, गार्डन रोड, घाटकोपर पूर्व मुंबई : 400077	नवसन ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर-डायरेक्टर/गारंटर	क्लॉज नंबर: 3 (1) (xviii) (A) (e) गारंटर के तहत : क्लॉज नंबर: 3 (1) (xviii) (B)
श्री. अलीमुद्दीन शेख पता : 8-ए तीसरी मंजिल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश-462011	नवसन ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर	

चूंकि वह SCN (कारण बताओ नोटिस) वापस आ गया था, इसलिए आपको यह नोटिस दिया जा रहा है कि आप इस पब्लिकेशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर बैंक को कारण बताएं कि आपको "विलफुल डिफॉल्टर" (जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाला) क्यों न घोषित किया जाए और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को इसकी रिपोर्ट क्यों न की जाए। अगर तय समय के भीतर SCN के खिलाफ कोई जवाब या पक्ष नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

आप बैंक से विस्तृत SCN - IDBI बैंक, 7वीं मंजिल, IDBI टॉवर, WTC कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 पर जाकर या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए (पहचान का सबूत दिखाकर) या अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID से sanjay.nikam@idbi.co.in पर बैंक को ईमेल भेजकर – प्राप्त कर सकते हैं। इस नोटिस को आप तक SCN की वैध और पर्याप्त तामील (सर्विस) माना जाएगा, चाहे आपने बैंक से विस्तृत SCN प्राप्त किया हो या नहीं।

कृपया ध्यान दें कि "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित किए जाने पर, बैंक के पास RBI की मौजूदा गाइडलाइंस, कानून और कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

दिनांक : 01/09/2026

हस्ताक्षर

अधिकृत/हस्ताक्षरकर्ता

दीक्षारंभ *युवा शक्ति ही वर्ष 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगी...*

जिज्ञासा, परिश्रम और नवाचार से युवा तय करेंगे विकसित भारत की दिशा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश की युवा शक्ति ही वर्ष 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगी। युवाओं की जिज्ञासा, ज्ञान, परिश्रम, अनुसंधान और नवाचार की क्षमता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

श्री परमार मंगलवार को रविंद्र भवन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित दीक्षारंभ-2026 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से केवल ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं रहने, बल्कि अपनी प्रतिभा और तकनीकी क्षमता का उपयोग समाज और राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है और इसे अनुसंधान व नवाचार से जोड़कर प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित बदलती तकनीकों के दौर में युवाओं को निरंतर स्वयं को तैयार करना होगा।

भाषा के महत्व पर मंत्री ने कहा कि भाषाएं लोगों को जोड़ने का माध्यम हैं, तोड़ने का नहीं। भारत की भाषाई विविधता उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित किया। परमार ने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिभा के साथ अनुशासन, जिम्मेदारी, संस्कार और कर्तव्यबोध भी आवश्यक हैं। समारोह में संस्थान के निदेशक, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।